


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर के पत्रांक प. 21(26) प्राशि/आयो/2016 दिनांक: 29.08.16 के क्रम में ट्रांसजेंडरों (तृतीय लिंग) को विद्यालयों में प्रवेश पुरुष (छात्र), स्त्रीलिंग (छात्रा) की तरह देने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

ट्रांसजेंडरों को विद्यालयों में प्रवेश देने में किसी प्रकार की आना-कानी/आपत्ति करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।


(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 14/09/2016

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/मा-स/ट्रांसजेण्डर/2014-15/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर।
2. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)।
4. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर